



राजस्थान साहित्य अकादमी

'ज्ञान नगर', सेक्टर-4, हिरण मगरी, उदयपुर (राज.)-313002

दूरभाष : 0294-2461717

नवोदित प्रतिभा प्रोत्साहन पुरस्कार नियम

राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा राज्य की नवोदित साहित्यिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से प्रतिवर्ष अग्रांकित पुरस्कार दिये जायेंगे-

(क) महाविद्यालय स्तरीय पुरस्कार

● **चन्द्रदेव शर्मा पुरस्कार**

राशि रु. 5000/-

(प्रत्येक विधा)

स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्र-छात्राओं के लिये

(1) कविता (2) कहानी (3) एकांकी (4) निबन्ध विधाओं में

● **डॉ. सुधा गुप्ता पुरस्कार** (केवल महाविद्यालय की छात्राओं के लिये)

राशि रु. 5000/-

इस वर्ष *कहानी* विधा में)

(ख) विद्यालय स्तरीय

● **परदेशी पुरस्कार**

राशि रु. 5000/-

(प्रत्येक विधा)

उच्चतर माध्यमिक (हायर सेकेण्डरी) कक्षाओं तक के

छात्र-छात्राओं के लिये ।

(1) कविता (2) कहानी (3) निबन्ध (4) लघुकथा विधाओं में

1. इन पुरस्कारों में राजस्थान के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विद्यालयों के वे नियमित छात्र-छात्राएँ ही भाग ले सकेंगे, जिनकी आयु विज्ञप्ति प्रसारण की तिथि को 23 वर्ष से अधिक न हो ।
2. प्रतियोगियों को अपनी रचनाओं के साथ अपने विधिवत नियमित छात्र होने का तथा आयु का प्रमाण-पत्र विभागीय अध्यक्ष, प्राचार्य या प्रधानाध्यापक का संलग्न करना आवश्यक है ।
3. जिन छात्र-छात्राओं को एक बार नवोदित प्रतिभा प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त होगा वे आगामी पाँच वर्षों तक इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगे ।
4. प्रतियोगी को टंकित/सुवाच्य लिपि में अपनी रचना की दो प्रतियाँ भेजनी आवश्यक है।
5. पुरस्कृत रचनाओं के प्रकाशन पर अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जायेगा ।
6. एक वर्ष में किसी भी छात्र-छात्रा को एक पुरस्कार ही दिया जायेगा ।
7. प्राप्त रचनायें वापस नहीं लौटाई जायेंगी ।

—X—X—

सचिव

राजस्थान साहित्य अकादमी

उदयपुर-313 002 (राज.)

विषय : चन्द्रदेव शर्मा/डॉ. सुधा गुप्ता/परदेशी पुरस्कार योजना में प्रविष्टि

महोदय,

अकादमी द्वारा प्रवर्तित चन्द्रदेव शर्मा/डॉ. सुधा गुप्ता/परदेशी पुरस्कार योजनान्तर्गत में अपनी मौलिक रचना विधा की दो टंकित/हस्तलिखित प्रतियाँ भेज रहा/रही हूँ ।

- मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि राजस्थान स्थित का विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय नियमित छात्र/छात्रा हूँ तथा विज्ञप्ति प्रसारण तिथि को मेरी आयु 23 वर्ष से अधिक नहीं है ।
- मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि गत पाँच वर्षों में मुझे अकादमी का नवोदित प्रतिभा प्रोत्साहन पुरस्कार या डॉ. सुधा गुप्ता पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है ।
- विभागीय अध्यक्ष / प्राचार्य / प्रधानाध्यापक का प्रमाण-पत्र जो कि नवोदित प्रतिभा प्रोत्साहन पुरस्कार नियम सं. (4) के अनुसार आवश्यक है, नीचे दिया गया है ।
- मैंने नवोदित प्रतिभा पुरस्कार नियम पढ़ लिये हैं और मैं इन्हें मान्य करता/करती हूँ ।
- मेरी अब तक प्रकाशित तथा अप्रकाशित रचनाओं का विवरण अग्रांकित है -

.....
.....
.....

भवदीय

हस्ताक्षर

(स्थायी निवास स्थान का पूरा पता)

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री
..... विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय (नाम) की कक्षा के नियमित छात्र-छात्रा हैं और प्रेषित उक्तांकित रचना उन्हीं के द्वारा लिखी गई है । उनकी जन्म तिथि है ।

हस्ताक्षर मय सील

नोट : डॉ सुधा गुप्ता पुरस्कार में महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की केवल छात्राएँ ही भाग ले सकेंगी ।